भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल प्रकाशनार्थ

पीआरडी/प्रेस नोट/**01**/2022-23 28 अप्रैल 2022

अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण का कार्यान्वयन

देश के 256 जिलों में दिनांक 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के सफल कार्यान्वयन होने के पश्चात्, जिसमें प्रतिदिन 3 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं पर एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क लगाया जा रहा है, सरकार द्वारा सोने के आभूषण एवं सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य हॉलमार्किंग के इस दूसरे चरण में सोने के आभूषणों / कलाकृतियों के जैसा कि भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लेख किया गया है, **के अनुसार अतिरिक्त तीन कैरेट अर्थात् 20, 23 और 24 कैरेट शामिल होंगे और अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत 32 नए ऐसे जिलों (जहां अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के पहले चरण के कार्यान्वयन के बाद एएचसी की स्थापना की गई है) को शामिल किया जाएगा।** इन जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है।

बीआईएस ने एक सामान्य उपभोक्ता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी एसेइंग एंड हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है।

यह एएचसी प्राथमिकता के आधार पर सामान्य उपभोक्ताओं के सोने के आभूषणों का परीक्षण करेगा और उपभोक्ता को परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभोक्ता को जारी की गई यह परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास रखे आभूषणों को बेचना चाहता है, तो यह उपयोगी भी होगी।

सोने के आभूषणों की 4 वस्तुओं तक का परीक्षण शुल्क 200 रुपये है। 5 या इससे अधिक वस्तुओं के लिए यह शुल्क 45 रुपये प्रति वस्तु है।

उपभोक्ता के सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशा-निर्देश और मान्यता प्राप्त ऐसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध है।

उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में 'वेरीफाई एचयूआईडी' का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

जनसंपर्क विभाग

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

For immediate release

PRD/Press Note/01/2022-23 Date 28-04-2022

PRESS RELEASE

Implementation of Second Phase of Mandatory Hallmarking from 1st June 2022

After successful implementation of Mandatory Hallmarking by Bureau of Indian Standards in 256 districts of the country with effect from 23 June 2021, wherein more than 3 lakh gold articles are being hallmarked with HUID every day, **it has been notified by the government to implement the second phase of mandatory hallmarking from 01 June 2022 vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Amendment) Order, 2022, dated 04 April 2022. The second phase of the mandatory hallmarking will cover additional three caratages of gold jewellery/artefacts viz.20,23 and 24 carats as mentioned in the Indian Standard IS 1417 and 32 new districts under the mandatory hallmarking** regime wherein an AHC has been setup post implementation of the first phase of the mandatory hallmarking order. The list of districts is available on the BIS website, www.bis.gov.in.

BIS has made a provision to allow a common consumer to get the purity of their unhallmarked gold jewellery tested at any of the BIS recognized Assaying and Hallmarking Centres (AHC).

The AHC shall undertake the testing of gold jewellery from common consumers on priority and provide a test report to the consumer. The test report issued to the consumer will assure the consumer about the purity of their jewellery and will also be useful if the consumer wishes to sell the jewellery lying with him.

The charges for testing of gold jewellery up to 4 articles is Rs 200. For 5 or more articles, the charges are Rs 45 per article.

The detailed guidelines on testing of gold jewellery of consumer and the list of recognized Assaying and Hallmarking centres can be accessed through the home page of BIS website, www.bis.gov.in.

The authenticity and purity of the hallmarked gold jewellery items with HUID number, purchased by consumer, can also be verified by using ‘verify HUID’ in BIS CARE app which can be downloaded from play store.

Public Relations Department